**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1502**
**दिनांक 29 जुलाई, 2025/ 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**गरीब कैदियों के लिए योजना**

**†1502. श्री राजा राम सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जेलों में कैदियों की अतिरिक्त संख्या को कम करने और गरीब कैदियों को रिहा होने में मदद करने के लिए प्रति कैदी 40,000 रुपये तक की नकद जमानत और 25,000 रुपये तक की शास्ति भुगतान उपलब्ध कराने हेतु 'गरीब कैदियों को सहायता योजना' शुरू की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) सरकार द्वारा शुरू की गई 'गरीब कैदियों को सहायता योजना' के आरंभ से लेकर आज तक राज्यवार और वर्षवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;**

**(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को इस योजना के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और उनके द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया; और**

**(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कैदियों को रिहा ना किए जाने के क्या कारण हैं और योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क): गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, जो उन पर लगाए गए जुर्माने को भरने में असमर्थ हैं या आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं ले पा रहे हैं, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में "गरीब कैदियों को सहायता" योजना शुरू की थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने वाले विस्तृत "दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया" दिनांक 19.6.2023 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझा किए गए थे। "दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया" गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

**लोक सभा अता. प्र.सं. 1502 दिनांक 29.07.2025**

(ख): इस योजना से लाभान्वित कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग): योजना के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय ने तीन वित्तीय वर्षों - 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय परिव्यय प्रदान किया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया कि सीएनए खाते में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जहां से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकतानुसार राशि निकाल सकते हैं और गरीब कैदियों को राहत प्रदान कर सकते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और सभी पात्र कैदियों को इसका लाभ प्रदान करें। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया कि इस संबंध में पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, गरीब कैदियों को सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): "भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" का विषय है। इसलिए, जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, जिन्हें पात्र व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार की योजना का लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गरीब कैदियों को सहायता योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा की है और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण प्रदान किया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से पुन: कहा है कि वे योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य पदाधिकारियों को उचित निर्देश जारी करे और यह सुनिश्चित करे कि "अधिकार प्राप्त समितियों" की नियमित बैठकें आयोजित की जाएँ जिससे इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें ।

******

**लोक सभा अता. प्र.सं. 1502 दिनांक 29.07.2025**

**अनुलग्नक-I**

**गरीब कैदियों को सहायता योजना से लाभान्वित कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | | | |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 6 | | |
| 3 | असम | | | |
| 4 | बिहार | | | |
| 5 | छत्तीसगढ़ | | | |
| 6 | गोवा | | 5 | 1 |
| 7 | गुजरात | | 4 | |
| 8 | हरियाणा | | | |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | | | |
| 10 | झारखंड | | | |
| 11 | कर्नाटक | | | |
| 12 | केरल | | | 1 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 8 | 25 | 2 |
| 14 | महाराष्ट्र | | 33 | 23 |
| 15 | मणिपुर | | | |
| 16 | मेघालय | | | |
| 17 | मिजोरम | | | |
| 18 | नागालैंड | | | |
| 19 | ओडिशा | | 3 | |
| 20 | पंजाब | | 3 | |
| 21 | राजस्थान | | | |
| 22 | सिक्किम | | 1 | |
| 23 | तमिलनाडु | | | |
| 24 | तेलंगाना | | 5 | |
| 25 | त्रिपुरा | | 3 | |
| 26 | उत्तर प्रदेश | | | |
| 27 | उत्तराखंड | 3 | 11 | 7 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | | | |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | | | |
| 30 | चंडीगढ़ | | | |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव | | | |
| 32 | दिल्ली | | | |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | | | |
| 34 | लद्दाख | | | |
| 35 | लक्षद्वीप | | | |
| 36 | पुदुचेरी | | | |
| | **कुल** | **17** | **93** | **34** |

**लोक सभा अता. प्र.सं. 1502 दिनांक 29.07.2025**

**अनुलग्नक-II**

**गरीब कैदियों को सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | | | |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ₹34,000/- | | |
| 3 | असम | | | |
| 4 | बिहार | | | |
| 5 | छत्तीसगढ़ | | | |
| 6 | गोवा | | ₹60,000/- | ₹10,000/- |
| 7 | गुजरात | | ₹85,000/- | |
| 8 | हरियाणा | | | |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | | | |
| 10 | झारखंड | | | |
| 11 | कर्नाटक | | | |
| 12 | केरल | | | ₹30,000/- |
| 13 | मध्य प्रदेश | ₹55,618/- | ₹6,65,288/- | ₹23,133/- |
| 14 | महाराष्ट्र | | ₹5,27,500/- | ₹3,84,000/- |
| 15 | मणिपुर | | | |
| 16 | मेघालय | | | |
| 17 | मिजोरम | | | |
| 18 | नागालैंड | | | |
| 19 | ओडिशा | | ₹24,311/- | |
| 20 | पंजाब | | ₹5,15,000/- | |
| 21 | राजस्थान | | | |
| 22 | सिक्किम | | ₹75,000/- | |
| 23 | तमिलनाडु | | | |
| 24 | तेलंगाना | | ₹72,000/- | |
| 25 | त्रिपुरा | | ₹85,000/- | |
| 26 | उत्तर प्रदेश | | | |
| 27 | उत्तराखंड | ₹32,000/- | ₹1,08,067/- | ₹81,369/- |
| 28 | पश्चिम बंगाल | | | |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | | | |
| 30 | चंडीगढ़ | | | |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव | | | |
| 32 | दिल्ली | | | |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | | | |
| 34 | लद्दाख | | | |
| 35 | लक्षद्वीप | | | |
| 36 | पुदुचेरी | | | |
| | **कुल** | **₹ 1,21,618/-** | **₹ 22,17,166/-** | **₹ 5,28,502/-** |

*****